

# पिटाई कानून का



आभा जोशी

**का**नून? हां, हां वही... कोर्ट-कचहरी, पुलिस... हमारा कानून से क्या वास्ता है? कुछ भी नहीं—कानून तो लड़ाई-झगड़े, मार-पीट की स्थिति में लागू होता है। कानून क्या है? कानून तोड़ने से जेल हो जाती है। सरकार क्या है? गांव के, समाज के बड़े लोग सरकार हैं। ये हैं कुछ आम प्रतिक्रियाएं कानून के प्रति: शहर हो या गांव। ये और कई कानून की बातें उठती हैं कानूनी साक्षरता शिविरों में जो कुछ सालों से महिला संस्थाओं के कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं।

कानूनी साक्षरता की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या करेंगी ये “गरीब और अनपढ़” महिलाएं कानून जान कर? क्या ये अपने अधिकारों के लिए कचहरी तक लड़ने जाएंगी? ये सवाल कानूनी साक्षरता करने वालों के मन में स्वयं भी उठते हैं और अक्सर हमसे पूछे भी जाते हैं। जिन महिलाओं को पढ़ना तक नहीं आता, आप उन्हें कानून सिखाती हैं? कभी आश्चर्य, अधिकांश बार कुछ मुस्कुराहट और “रहने भी दो” वाले भाव से यह सवाल हमें पूछा जाता है। इसके जवाब में हमारे पास तर्क से ज्यादा, बहुत सारे सुंदर अनुभव हैं। उन कथित “गरीब और अनपढ़” महिलाओं की तीव्र बुद्धि और समझदारी के, उनके साहस के, उनके हास्य और व्यंग करने की कुशलता के!!

**कानून क्यों सीखा जाए?**

कानूनी साक्षरता के विषय में सबसे पहले यह सवाल उठता है कानून सीखने की ज़रूरत ही क्या है? क्या कानून सिखा कर हम महिलाओं को कोर्ट-कचहरी का रास्ता दिखाना चाहते हैं? नहीं। इसका एक उद्देश्य ही है कि कानून शब्द का

नाता टकराव की स्थिति से न जोड़ कर, सामाजिक समन्वय और सुव्यवस्था के साधन के रूप में बताया जाए।

विषय कानून है, वकालत नहीं! यानि, हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों को ठीक से समझ पाएं और उनके अनुसार, व्यवस्थित और न्यायपूर्वक जीवन बिताने की कोशिश करें। कानून के उपयोग से हम समस्याओं का हल ढूँढ़ें और अपना बचाव करें।

अगला सवाल इससे भी महत्वपूर्ण है—कानून कैसे सिखाया जाए? कानून के पोथों से, जो पढ़ने तो दूर, उठाने ही कठिन हैं? या उन काली-सफेद पोशाक वालों के भाषण सुनें जो बड़े-बड़े शब्दों से और अनगिनत नंबर गिना कर (धारा यह और धारा वह) चले जाते हैं?

फिर, क्या किया जाए? आज की तारीख में, कानूनी साक्षरता के लिये कई सरल किताबें हैं जिनके जरिए कार्यकर्ताओं को मूल कानूनों के बारे में बता सकते हैं। ‘मार्ग’ संस्था ने कई कानूनों को

लेकर कानूनी साक्षरता की दस किताबें बनाई हैं जो पढ़ने व पढ़ाने में सरल हैं और रोचक भी। इन्हें कम पढ़ी हुई कार्यकर्ताएं भी पढ़ व समझ सकती हैं। इसके अलावा आप पोस्टर, फिल्मों आदि के आधार पर चर्चा करके, कानून के मूल तत्व समझा सकते हैं।

हर इलाके, समाज व संस्था की कुछ विशेष परिस्थितियां और समस्याएं होती हैं। कानूनी साक्षरता को इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी 'कानून' को लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ पाएंगे।

सबसे ज़रूरी हैं—सरलता और रोचकता बनाए रखना। यह तभी होगा जब आप समूह के स्तर को और समस्याओं को बराबर ध्यान में रखें। हमारा एक अनुभव रहा तिहाड़ जेल की महिला कैदियों के साथ। हम वहां गए थे कानूनी जानकारी देने। हमने महिला कैदियों की समस्याएं सुनीं—फिर उनमें से कानूनी मुद्दे निकालने शुरू किए। हर समस्या या केस से जुड़े हुए कानून के बारे में बताया। समूह की रुचि बनी रही।

एक बात और भी है। कानून बताने के साथ-साथ आप समूह को समस्याएं सुलझाने के व्यावहारिक तरीके भी बताएं। यानि, अगर चर्चा बलात्कार पर है, तो बलात्कार के कानून के साथ-साथ यह भी बताएं कि बलात्कार का सबूत क्या-क्या हो सकता है। पुलिस रिपोर्ट सही ढंग से कैसे करवानी चाहिए। डाक्टरी जांच कैसे करवानी चाहिए। कचहरी में औरत की ओर से कौन-कौन सी अर्जियां दी जा सकती हैं, आदि।

श्रमिक कानूनों के बारे में बताते समय यह भी बताना चाहिए कि श्रम अधिकारी का कार्यालय

आपके शहर में कहां स्थित है, या न्यूनतम मज़दूरी की सूची उन्हें कहां से मिल सकती है, इत्यादि।

रायपुर की एक 65 वर्षीय विधवा की कहानी हमें बहुत प्रिय है। 'दाई' ने लगभग 60 साल की उम्र में साक्षरता प्राप्त की। साक्षरता से वह केवल अपना नाम या 'आ' 'आम' ही नहीं सीखीं—उन्होंने कविता करनी शुरू की। हमने जब रायपुर की 'रूपांतर' संस्था में कानूनी शिविर किया, तो 'दाई' ने बहुत रुचि से तीन दिन कानून सीखा और उस पर एक-आध कविता भी लिखा डाली। उनके उत्साह को देख कर हम लोगों को बहुत तसल्ली मिली।

कुछ महीनों बाद जो समाचार हमें रायपुर से मिला, उसका प्रभाव हम पर क्या हुआ होगा, आप खुद अंदाजा लगाएँ: दाई अपने बेटों और परिवार के साथ रहती हैं। बेटों ने उनके साथ लापरवाही बरतनी शुरू की। जब बात दाई की सहनशीलता के बाहर हो गई, तो उन्होंने बेटों से कहा—अब हमारा साथ गुज़ारा नहीं होगा, लाओ मुझे अपने पिता की संपत्ति का मेरा हिस्सा दो, मैं अपना गुज़ारा खुद कर लूँगी।

बेटों ने पलट कर कहा—संपत्ति में हिस्सा? तुम्हारा? कौन कहता है कि तुम्हारा संपत्ति में हिस्सा है? दाई ने झट अपनी प्रिय "पीली किताब" निकाली और कहा, यह किताब कहती है। बेटों ने फिर भी उनकी बात न मानी तो दाई उन्हें तहसीलदार के पास ले गई।

तहसीलदार ने दाई की बात को ठीक ठहराया। तब से बेटे सही रास्ते पर चल रहे हैं और परिवार साथ में खुशी से रह रहा है।

## कौन से कानून सिखाएं?

महिलाओं का कोई भी समूह हो, कुछ मूल समस्याएं ऐसी हैं जो सभी जगह हैं। चाहे वह उत्तर प्रदेश का बांदा जिला हो, या राजस्थान में बीकानेर, या फिर हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में बसे छोटे-छोटे कस्बे।

इन समस्याओं में से कुछ हैं—शादी और परिवार से जुड़ी हुई बातें। कई कार्यशालाओं के दौरान हमने पाया कि कई बहनें शादी, संपत्ति इत्यादि के कानून की छोटी-छोटी पर महत्वपूर्ण बातों से भी परिचित नहीं हैं। शादी कैसे रचाई जानी चाहिए, शादी किससे कर सकते हैं और किस उम्र में, तलाक के आधार क्या-क्या हैं? यह सारी जानकारी पाने से भले ही उनकी स्थिति में तुरंत सुधार तो नहीं आ जाता, उनका आत्मबल ज़रूर बढ़ता है।

कई महिलाओं को विशेष रूप से इस जानकारी से बहुत फ़ायदा हुआ कि पति मनमानी से उनसे 'तलाक' या 'छोड़ छुट्टी' नहीं कर सकता। यह जानकर भी औरतों को हैरानी व खुशी हुई कि संतान न होने पर भी पति दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसी तरह पुलिस से संबंधित अधिकारों की जानकारी से महिला संगठनों का आत्मबल खूब बढ़ा और उनमें गलत बर्ताव से जूझने की क्षमता बढ़ी।

कानून का पिटारा तो जादूगर के पिटारे की तरह है। इसमें से अनगिनत कानून निकल सकते हैं। एक सावधानी: कानून जानना ही समस्या का हल नहीं। जानकारी हासिल करना, हल ढूँढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो, खोला जाए यह पिटारा?

